


कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 11/08/2021

आवश्यक- सूचना

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग कार्यालय कलेक्टर इन्दौर के पत्र क्रमांक/ पोमेछा /2021-22/2134 में दी गई सूचना के आधार पर सत्र 2020-21 में NIC Scholarship Portal 2.0 से अनुसूचित जाति (SC) के अंतर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी अपना छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं भर पाये या लॉक नहीं कर पाये वे निर्धारित दिनांक 12/08/2021 से 15 दिवस के अंदर छात्रवृत्ति का आवेदन भरकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की रहेगी।


प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर